

इसे वेबसाईट [www.govt\\_press\\_mp.nic.in](http://www.govt_press_mp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी 2022—फाल्गुन 3, शक 1943

### श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022

क्र. 291-52-2022-A-सोलह.—मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से नीचे दी गयी अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट नगरों के उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों के भीतर लागू होंगे :—

### अनुसूची

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	स्थान का नाम (3)	स्थानीय क्षेत्र (4)
1	सागर	बिलहरा	नगर पंचायत बिलहरा के स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र
2	सागर	मालथैन	नगर पंचायत मालथैन के स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र
3	सागर	सुरखी	नगर पंचायत सुरखी के स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र
4	सागर	बांदरी	नगर पंचायत बांदरी के स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र



No. 291-52-2022-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act, 1958 (No. 25 of 1958), the State Government, hereby, directs that the provisions of the said Act shall apply to the towns specified in column (3) of the Schedule given below, within the local areas specified in column (4) of the said Schedule, with effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette.—

#### SCHEDULE

No. (1)	District (2)	Name of town (3)	Local area (4)
1	Sagar	1. Bilhara	The area comprised within the local limits of Nagar Panchayat Bilhara.
2	Sagar	2. Malthon	The area comprised within the local limits of Nagar Panchayat Malthon
3	Sagar	3. Surkhi	The area comprised within the local limits of Nagar Panchayat Surkhi
4	Sagar	4. Bandri	The area comprised within the local limits of Nagar Panchayat Bandri.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जगदीश चन्द्र जटिया, उपसचिव.

